न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 44 / 2016

दानकौर पुत्री चननसिंह जाति मजहबी निवासी 4 एम.एस.आर. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. हरबंससिंह पुत्र बग्गासिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 5एमएसआर तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ।

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज.भू–राजस्व अधि. 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ दिनांक 29.09.2014

उपस्थितिः–

श्री अजय धारणीयां अभिभाषक अपीलार्थी

श्री मदनसिंह धारण अभिभाषक रेस्पों. सं. 1

श्री वेदप्रकाश राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 22.05.2018

अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के आदेश दिनांक 29.09.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त आदेश के द्वारा प्रार्थी रेस्पों. द्वारा राज. उपनिवेशन (सामान्य शर्तें) 1955 की शर्त सं. 8(2) के तहत प्रस्तुत प्रा.पत्र स्वीकार कर चक 5 एमएसआर के प.नं. 323 / 428 के कि.नं. 21 से 25 में स्वीकृतशुदा रास्ता निरस्त कर इसी प.नं. के कि.नं. 19, 20, 23 से 25 तथा कि.नं. 20, 21 में प.नं. 324 / 428 के साथ 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

22/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाए पारित किया है। अधी. न्यायालय को पूर्व में स्वीकृतशुदा रास्ता को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं था। यदि उस स्वीकृतशुदा रास्ता से कोई पीडित था तो उसे सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर ही निरस्त कराया जा सकता था। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना पक्षकार बनाए पारित किया गया है। अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र धारा 96 सीपीसी पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति दी जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पों. द्वारा अधी. न्यायालय में प्रा.पत्र पेश करने पर तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही अधी. न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह उचित है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनको दृष्टिगत रखते हुए प्रा.पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलांट द्वारा अपील आदेश दिनांक 29.09.2014 के विरूद्ध 07.01.2016 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं करने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

22/5/18

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/रेस्पों. ने अधी. न्यायालय में कॉलोनी कन्डीशन्स की शर्त सं. 8(2) के तहत प्रा.पत्र पेश किया था जबकि उस समय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए प्रावधान प्रभाव में आ चुके थे। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.09.2014 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण संदर्भ धारा 251ए राज.काश्त.अधि. के अधीन होना प्रतीत होता है जो इस धारा में निर्णित नहीं हुआ है। अतः इस धारा में दर्ज कर दोनों पक्षों को सुनकर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/5/18

(प्रेमप्रकाश परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर